न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

दावा प्रकरण संख्या :– 44/2022 जीसीएमएस नं0 107/2022 निर्णय दिनांक 14.11.2022

उनवान प्रकरण

1. नाथूसिंह पुत्र अमरसिंह
2. राजवीरसिंह पुत्र अमरसिंह

जाति राजपूत निवासी ग्राम मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

——वादीगण/प्रार्थीगण

बनाम्

1. नाथूलाल पुत्र हनुमानसहाय
2. जटाशंकर पुत्र हनुमानसहाय

जाति जांगिड खाती निवासी ग्राम मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

3. उप पंजियक श्रीमाधोपुर जिला सीकर
4. पटवार हल्का मउ तहसील श्रीमाधापुर जिला सीकर
5. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

——प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण

उपस्थितः–

श्री सरदार सिंह कुडी प्रथम, एड0 वादीगण/अप्रार्थी अभिभाषक।

श्री रामवतार सैनी प्रथम, एड0 आवेदनकर्त्ता पेशकर्त्ता आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.18 18:16:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी व 151 सीपीसी

14/11/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 श्री नाथूलाल पुत्र हनुमान सहाय जाति जांगिड़ खाती निवासी मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के द्वारा जरिये अधिवक्ता दिनांक 12/05/2022 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 207 आर0टी0एक्ट का प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि प्रकरण हाजा में वादी द्वारा वर्णित तथ्यों के मुताबिक वादीगण ने स्वयं के व प्रतिवादीगण के मध्य दिनांक 06.12.2014 को ईकरारनामा निष्पादित होना व विवादित भूमि में वादीगण द्वारा वादीगण के खर्चे पर दुकानों का निर्माण करने तथा निर्मित दुकानों में दोनों पक्षो अर्थात वादी व प्रतिवादीगण का आधा–आधा हिस्सा होने का कथन करके तथाकथित ईकरारनामे को आधार बनाकर प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि बाबत उक्त वादपत्र पेश किया है। जिससे स्पष्ट है कि दोनो पक्षों के मध्य निष्पादित ईकरारनामा/अनुबंध दिनांक 06.12.2014 निरस्त हो चुका है तथा इस हेतु प्रतिवादीगण ने दिनांक 20.05.2017 को अपने अधिवक्ता से वादीगण को रजिस्टर्ड नोटिस भिजवाकर स्पष्ट रूप से ईकरारनामा दिनांक 06.12.2014 निरस्त कर दिया था। ऐसी सूरत मे अब तथ्यों को छुपाकर वादीगण ने ईकरारनामा दिनांक 06.12.2014 को आधार बनाकर न्यायालय में उक्त वादपत्र पेश किया है। जो ईकरारनामा की विनिर्दिष्ट पालना की तारीफ में आने से तथा किसी भी तरह से कृषि अधिकारों के बाबत नही होने से माननीय न्यायालय को वादपत्र का श्रवणाधिकार नहीं होकर विधि द्वारा वर्जित होने व ईकरारनामा अनुबंध की पालना हेतु वाद का श्रवणाधिकार अनन्यय रूप से सिविल न्यायालय में निहित होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर वादीगण का वादपत्र को खारिज फरमाये जाने का निवेदन वकील प्रतिवादी/प्रार्थी ने अपनी बहस में किया हैं। दौराने बहस वकील प्रार्थी/प्रतिवादी ने एक न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0डी0 1996 पेज नम्बर 613 की फोटोप्रति पेश की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.18 18:16:43 IST
Reason: SelfAttested

वही वकील वादीगण/आशी दौराने बहस अवगत कराया कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को वादग्रस्त भूमियों पर [redacted] रिये ईकरारनामा दिनांक 06.12.2014

14/11/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

को भूमियों के विकास के लिए करीब 8 वर्ष पूर्व मौके पर भूमियों का कब्जा वादीगण को सौपता कर भूमियां सम्भलाई गई थी। जिस पर निरंतर निर्विघन मौके पर वादीगण विकास कर काबिज है। जिसकी सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण की अवैध व बैजा कार्यवाही व अवैध बेदखली से सुरक्षार्थ व हितार्थ वादीगण की ओर से वाद प्रस्तुत किया गया है। जिसको आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की आड में खारिज नही किया जा सकता। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र 7 नियम 11 सीपीसी संपठित धारा 207 आर0 टी0 एक्ट कानूनन चलने योग्य नही है। वादीगण का वादपत्र में तथ्य व विधि का मिश्रित प्रसन्न वादग्रस्त भूमियों के कब्जे से संबंधित हैं व विकास कार्य से संबंधित है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ने उक्त ईकरारनामा को निरस्त कराने बाबत माननीय अपर जिला एंव सैशन न्यायाधीश में मुकदमा उनवानी नाथूलाल बनाम नाथूसिंह मुकदमा संख्या 15/2017 पेश किया गया था। जिसको वादीगण नाथूलाल ने दिनांक 13.04.2022 को वादपत्र विड्रा किया जाकर खारिज करवा लिया गया। इस प्रकार ईकरारनामा दिनांक 06.12.2014 को यथावत रखते हुए वाद विड्रा किया गया तथा वादग्रस्त भूमियों पर आदिनांक तक कब्जा वादीगण का मौके पर चला आ रहा है। उक्त कब्जे की सुरक्षार्थ वादीगण को बिना विधिक प्रकिया के प्रतिवादीगण बेदखल नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा के लिए वाद प्रस्तुत किया गया है ना कि ईकरारनामा दिनांक 06.12.2014 के अनुतोष व अधिकारों के बाबत उक्त वादपत्र पेश किया गया है। उक्त प्रस्तुत वादपत्र में प्रतिवादीगण से जवाब लिया जाकर तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य लिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना विधि की आवश्यकता है। वादीगण का वाद कृषि भूमियों के कब्जे से संबंधित होकर भूमियों के विकास से संबंधित अपने अधिकारों की सुरक्षार्थ वाद है तथा प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का आवेदन उक्त आदेश में वर्णित उपमदो से आर्वत नही होकर प्रतिकूल है तथा वाद कौनसी विधि द्वारा वर्जित है। ऐसा कोई खुलासा प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया है। वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र आर.टी0 एक्ट 1955 की तृतीय अनुसूचि में वर्णित व्यादेश के लिए वाद है। जो राजस्व न्यायालय के श्रवण विषय व क्षेत्राधिकार में है। इसलिए प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में पोषणीय नहीं होने से खारिज किए जाने का निवेदन वकील वादीगण/अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.18 18:16:43 IST
Reason: SelfAttested

14/11/22

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

हमने बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् ध्यानपूर्वक सुनी। बहस पर गम्भीर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व दस्तावेजात् न्यायालय अपर जिला एंव सेशन न्यायाधीश श्रीमाधोपुर का दी.वि.प्र.सं. 24/22 उनवानी नाथूसिंह वगै0 बनाम नाथूलाल वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 20.06.2022, प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा, विक्रय पत्र दिनांकित 20.04.2022 इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में वकील प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में मुख्य रूप से वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य दिनांक 06.12.2014 को निष्पादित किये गये ईकरारनामा से सम्बन्धित विवाद है। उक्त तथाकथित ईकरारनामा को निरस्त किये जाने हेतु प्रतिवादीगण के द्वारा दिनांक 20.05.2017 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से रजिस्टर्ड नोटिस भिजवाया जाना प्रकट होता है। वादीगण द्वारा उक्त वादपत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 91, 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जाना स्पष्ट होता है। उक्त धारा के तहत विनिर्दिष्ट आदेश की पालना करवाये जाने के सम्बन्ध में है। जिस ईकरारनामा की पालना वकील वादीगण द्वारा करवाई जा रही है वह तथाकथित ईकरारनामा को खारिज किये जाने बाबत सूचना जरिये रजिस्टर्ड नोटिस वादीगण को दी जाना प्रकट होता है। जिसके आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि वादीगण को उक्त ईकरारनामा खारिज करवाने बाबत जानकारी है। उक्त ईकरारनामा की विनिर्दिष्ट पालना की श्रेणी में आने से इस न्यायालय को वादपत्र का श्रवणाधिकार नहीं होकर सिविल न्यायालय को होना प्रकट होता है। जिनके आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादपत्र को इसी स्तर पर खारिज किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जाना प्रकट होता है।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में स्पष्ट वर्णित है कि:– वादपत्र का नांमजूर किया जाना– वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा–

क. जहाँ वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

ख. जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्याकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.18 18:16:43 IST
Reason: SelfAttested

14/11/22

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

है, ऐसा करने में असफल रहता है।

ग. जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र पर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

घ. जहाँ वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

ड. जहाँ वह डुप्लीकेट फाईल नहीं किया गया है।

च. जहाँ वादी 9 नियम की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण को वादग्रस्त भूमियों का मौके पर कब्जा ईकरारनामा दिनांक 06.12.2014 के आधार पर सम्भलाया जाना ईकरारनामा में स्पष्ट उल्लेख है तथा उक्त ईकरारनामा के बाबत प्रतिवादीगण के द्वारा न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश श्रीमाधोपुर में मुकदमा उनवानी नाथूलाल बनाम नाथूसिंह वगै0 मुकदमा नम्बर 15/2017 पेश कर न्यायालय से इस्तदुआ ईकरारनामा दिनांक 06.12.2014 को प्रभावहीन व बेअसर करवाने की इस्तदुआ के साथ अन्य अनुतोष चाहे गये है तथा अपर जिला न्यायालय से किसी प्रकार का कोई निर्णय उक्त ईकरारनामा दिनांक 06.12.2014 बाबत नहीं करवाया जाकर वादीगण ने स्वयं ही विड्रा किया जाना स्पष्टतः प्रकट होता है। इस प्रकार उक्त ईकरारनामा के आधार पर वादीगण को वादग्रस्त भूमियों का कब्जा प्रतिवादीगण द्वारा सम्भलाया जाना स्पष्ट है तथा बिना विधि की प्रकिया के वादीगण को कानूनन बेदखल नहीं किया जा सकता है। लेकिन वादीगण उक्त वादग्रस्त आराजी भूमियों के खातेदार काश्तकार नहीं होना रिकार्ड से प्रकट होता है तथा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद कानूनन रिकार्डेड खातेदार काश्तकार द्वारा ही लाया जा सकता है। जिसके अनुसार उक्त वादग्रस्त विवादित स्थल के प्रकरणों में सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालयों को होने से प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के पैरा संख्या घ **जहाँ वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है** की श्रेणी के अन्तर्गत वादीगण के उक्त वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.18 18:16:43 IST
Reason: SelfAttested

14/11/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

अराजी भूमियों के खातेदार काश्तकार नहीं होने से स्पष्ट रूप से इस श्रेणी में आना प्रमाणित होता है।

अतः ऐसी स्थिति में वकील प्रतिवादी/प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

::–आदेश–::

अतः वकील प्रतिवादी/प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाता है तथा मूल वादपत्र मुकदमा संख्या 44/2022 एंव प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा संख्या 29/2022 उनवानी प्रकरण नाथूसिंह बनाम नाथूलाल वगै0 को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति मूल पत्रावलीयों में शामिल की जावें।

14/11/22

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

यह निर्णय आज दिनांक 14.11.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.18 18:16:43 IST
Reason: SelfAttested

14/11/22

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर